

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2014—अग्रहायण 7, शक 1936

## भाग ४

### विषय-सूची

- |     |                        |                               |                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2014

क्र. 1838-म.प्र.वि.नि.आ.-2014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 86 की उपधारा (1) खण्ड (ड) के साथ पठित धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (य त) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत्

नियामक आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत् का सह-उत्पादन तथा उत्पादन) विनियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

**मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग  
(ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत् का सह-उत्पादन तथा उत्पादन)  
विनियम, 2010 में तृतीय संशोधन**

उक्त विनियमों में, विद्यमान विनियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“9. अनुसूचीकरण—10 मेगावाट एवं अधिक की सामूहिक क्षमता वाले पवन ऊर्जा विद्युत् उत्पादक तथा 5 मेगावाट एवं अधिक की सामूहिक क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का अनुसूचीकरण केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के विनिश्चय के अनुसार किया जाएगा.”

आयोग के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, the 25th November 2014

No. 1838-MPERC-2014.—In exercise of the powers conferred by clause (zp) of sub-section (2) of Section 181 read with clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendment in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) Regulations, 2010, namely:—

**Third Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission  
(Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy)  
Regulations, 2010**

In the said Regulations, for the existing Regulation 9, the following Regulation shall be substituted, namely:—

“9. **Scheduling.**—The scheduling of Wind Electric Generators with collective capacity of 10 MW and above and Solar Generating Plants with collective capacity of 5 MW and above shall be made as per the decision of the Central Electricity Regulatory Commission.”

By order of the Commission,

SHAILENDRA SAXENA, Commission Secy.